41

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1098–दो/2016 – विरूद्ध – आदेश दिनॉक 3–2–2016 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर–प्रकरण क्रमांक 342 अ–6/2011–12 अपील

बल्दवान पुत्र घूमन लोधी
ग्राम पहरगुवॉ तहसील मालथौन
जिला सागर मध्य प्रदेश --- आवेदक

विरूद्ध

1– शिवपाल पुत्र गुलाब सिंह
ग्राम पहरगुवॉ तहसील मालथौन
जिला सागर मध्य प्रदेश

2– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामसेवक ठाकुर)
(अनावेदक क्र–2 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनॉक 4 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 342 अ–6/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 03–02–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अपर कलेक्टर सागर को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन

देकर मांग की कि ग्राम पहरगुवॉ स्थित भूमि सर्वे नंबर 284 बंदोवस्त के पूर्व खसरा नंबर 22 रकबा 2.340 हैक्टर को 2.30 हैक्टर नक्शे में बना दिया गया है जिसके कारण 0.04 हैक्टर भूमि कम कर दी गई, इसलिये नक्शे में सुधार किया जावे। अपर कलेक्टर सागर ने प्रकरण क्रमांक 58 अ-6-अ/2011-12 पॅजीबद्ध किया तथा स्थल की एंव नक्शे की जॉच कराते हुये आदेश दिनांक 03-03-2012 पारित करके नक्शा दुरूस्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनावदेक कमांक 1 ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 342 अ-6/ 2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-02-2016 से अपील स्वीकार कर अपर कलेक्टर सागर का आदेश दिनांक 3-3-12 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 342 अ-6/ 2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-02-2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 3-3-12 को इस आधार पर निरस्त किया है कि बंदोवस्त के पूर्व खसरा नंबर 22 रकबा 2.30 है. था और बंदोवस्त के वाद रकबा 2.30 है. अभिलेख में बल्दवान पिता घूमन लोधी के नाम दर्ज है। नक्शा चालू शीट में रकबा बरारी करने पर नक्शा पूरा है इसलिये नक्शा दुरूस्त करना संभव नहीं है। अपर आयुक्त के इस निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 03-03-2012 में निकाले गये निष्कर्ष के परीक्षण पर स्थिति यह है कि जब आवेदक के आवेदन पत्र दिनांक 26-12-2007 के आधार पर तहसीलदार मालथौन व्दारा राजस्व निरीक्षक से जॉच कराई गई है तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक की भूमि पुराना

ख.क. 22 से नया ख.क. 284 बनाया गया है जिसके रकबा 0.04 हैक्टर एंव नक्शा में 0.09 हैक्टर की कमी प्रतिवेदित की है इसी प्रकार आपत्तिकर्ता के ख.क. 280 में बॅदोवस्त के दौरान नक्शा एंव रकबा में वृद्धि होना प्रतिवेदित किया गया है तथा त्रृटि सुधार प्रस्तावित किया है भौतिक जॉच में सत्यापन उपरांत त्रृटि उजागर होने पर अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 3-3-12 से नक्शा दुरूस्ती का आदेश दिया है किन्तु अपर आयुक्त व्दारा तहसीलदार मालथौन के जॉच प्रतिवेदन को नजरन्दाज करते हुये आदेश दिनांक 03-02-2016 में निकाले गये निष्कर्ष आवेदक की समस्या का समाधान न करके विपरीत अर्थ पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 342 अ-6/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 03-02-2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपर कलेक्टर सागर व्दारा प्रकरण कमांक 58 अ-6-अ/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 3 मार्च, 2012 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर